दिनांक 24.07.2014 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में मेगा स्टील प्रोजेक्ट की स्थापना से संबंधित आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– **सूची संलग्न**

कार्यवाहीः–

आज दिनांक 24.07.2014 को राज्य में स्थापित होने वाले मेगा स्टील परियोजनाओं की समीक्षा उच्च स्तरीय समिति की बैठक में की गई, जिसमें एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कम्पनियों के issues की समीक्षा के क्रम में निम्नाकित निर्णय लिये गयेः–

1. मेसर्स टाटा स्टील लि0 (ग्रीनफिल्ड), मनोहरपुर/सरायकेला।

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) मनोहपुर पश्चिमी सिंहभूम में आयरन ओर प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु सरकारी भूमि के हस्तांतरण।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव अभिलेख अप्राप्त है।	कम्पनी उपायुक्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर सत्यापन हेतु कार्रवाई करें।
ii) सरायकेला–खरसॉवा में स्टील प्लान्ट की स्थापना से संबंधित सरकारी भूमि के हस्तांतरण।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव अभिलेख अप्राप्त है।	तदैव

2. मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0,आसनबोनी, पोटका, पूर्वीसिंहभूम।

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) इकाई के एम0ओ0यू0 merger.	उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के क्रम में एम0ओ0यू0 का प्रारूप खान एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग तथा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम को समीक्षा हेतु भेजा गया।	
ii) रैयती भूमि 2304.37 एकड़ के भू–अर्जन।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बताया गया कि भू–अर्जन अधिनियम धारा–40(2) का त्रुटिपूर्ण जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, जिसे नये भू–अर्जन नियम LARR Act 2013 के आलोक में नये सिरे से प्रस्ताव गठित करने के	कम्पनी उपायुक्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करें।

	क्रम में विभागीय पत्रांक 182/रा0, दिनांक 26.05.2014 के द्वारा वापस करते हुये उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को निदेशित किया गया है।	
ii) सरकारी भूमि– 416.80 एकड़ (स्टील प्लान्ट)	प्रस्ताव संशोधन एवं अभिलेख उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को वापस। पत्रांक 2850, दिनांक 01.09.2012 एवं 3786/रा0, दिनांक 10.12.2013 द्वारा स्मारित किया गया हैं। कम्पनी द्वारा कुल 198.63 एकड़ भूमि की मांग की गई है। संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख अद्यपर्यन्त अप्राप्त है।	
110.00 एकड (R&R colony)	भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन, विभागीय स्तर पर लम्बित।	
50.61 एकड़ (Railway siding)	विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
12.00 एकड़ (Railway siding)	Resumption की कार्रवाई प्रक्रियाधीन। SAIL की लीज भूमि Resume कर देना है।	
33.51 एकड़ (अवासीय कॉलोनी)	विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
24.96 एकड़ (विस्थापित परिवारों के पुर्नवास)	प्रक्रियाधीन। उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से प्रतिवेदन की मांग की गई है। पत्रांक 196/रा0, दिनांक 20.01.2014 प्रतिवेदन अप्राप्त।	
iii) लौह अयस्क– पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत जेरॉलादाबुरू सुरक्षित वन के 537 हे0 क्षेत्र पर खनन पट्टा की स्वीकृति।	खान एवं भूतत्व विभाग, राँची के द्वारा बताया गया कि पं० सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा–जेरालदाबुरू सुरक्षित वन के 537.00 हे० क्षेत्र पर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु खान मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात विभागीय पत्रांक– 170/एम०, दिनांक– 06.09.2007 द्वारा वन भूमि के लिए पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अनापत्ति की माँग की गई है। जो अब तक अप्राप्त है। जिसके कारण अब तक	

V.C

	खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।,	
iv) जितपुर कोल ब्लॉक(300.31 हे0)।	मेसर्स जिन्दल पावर एण्ड स्टील लि० को गोड्डा जिले में अवस्थित जितपुर कोल ब्लॉक का आवंटन कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। आवेदक कम्पनी द्वारा कोयले के खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया है। Stage-II Clearance एवं 300.31 हे० भूमि के लिए माईनिंग प्लान दाखिल नहीं करने के फलस्वरूप खनन पट्टा की स्वीकृति नहीं दी गयी है। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को नवम्बर, 2014 तक Stage-II Clearance प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है, अन्यथा इस कोल ब्लॉक को De-allocate किया जा सकता है।	
v) अमरकुण्डा, मुर्गादंगल कोल ब्लॉक (750 हे0)	विभागीय राज्यादेश संख्या– 895/एम०, दिनांक–29.06.2009 के द्वारा सर्वश्र श्रेष्ठ माईनिंग एण्ड मेटल लि०, (Joint Venture of Jindal Steel and Power Ltd. and Gagan Sponge Iron Private ltd.) राँची को दुमका जिलान्तर्गत अमरकुण्डा, मुरगादंगल कोल ब्लॉक के 750.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत दी गयी थी। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस कोल ब्लॉक को De-allocate कर दिया गया है।	
vi) वन विभाग	वन एवं पर्यावरण विभाग, राँची द्वारा बताया गया कि FC Act के तहत इकाई के जेरालदाबुरू 538.93 हे0	

	वन भूमि का Stage-I की स्वीकृति MoEF के पत्रांक 8–60/10–FC; दिनांक 27.05.2013 के द्वारा किया गया है। कम्पनी के द्वारा Stage-I के शर्त्तों को अभी तक comply नहीं की है।	कम्पनी शीघ्र Stage-II के शर्त्तों का comply करें।

2. मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0, बालकुदरा, पतरातु, रामगढ़,।

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) रैयती भूमि 751.44 एकड़	कम्पनी द्वारा 751.44 एकड़ भू–अर्जन से संबंधित प्रस्ताव उपायुक्त, कार्यालय, रामगढ़ में समर्पित किया गया जिसे नये भू–अर्जन अधिनियम LARR ACT 2013 के आलोक में नये सिरे से प्रस्ताव गठित करने के क्रम में विभागीय पत्रांक 156/रा0, दिनांक 15.05.2014 के द्वारा वापस करते हुये उपायुक्त, रामगढ़ को निदेशित किया गया है।	कम्पनी उपायुक्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करें।
ii) सरकारी भूमि–40.05	40.05 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तांतरण कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।	

3. मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लि0, बाबूग्राम चंदनक्यारी, बोकारो।

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) लौह अयस्क– मौजा, कोदलीबाद में 192.50 हे0 क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।	खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बताया गया कि मौजा– कोदलीबाद में 192.50 हे० क्षेत्र पर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पत्रांक–5/19/2006 M-IV, दिनांक–01.06.2006 द्वारा पूर्वानुमोदन के पश्चात विभागीय पत्रांक–1467/एम०, दिनांक–18.10.2006 द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्वानुमति की माँग की गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– F No.-8-35/2008-FC (Pt.), दिनांक–13.02.2012 द्वारा 55.790 हेक्टेयर वन भूमि पर in principle stage-I सषर्त्त	इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया गया है।

	संसूचित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F No.-11-362/2012-FC, दिनांक--01.02.2013 के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।	
ii) कोयला– पर्वतपुर कोल ब्लॉक, बोकारो।	भारत सरकार, कोयला मंत्रालय का पत्रांक--13016/ 34/2004–CA/CA-I, दिनांक--17.08.2007 के द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत पर्वतपुर कोल ब्लॉक पर पूर्वानुमोदन प्राप्त है। विभागीय पत्रांक–1678/एम०, दिनांक--20.12.2007 के द्वारा खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की गयी है। खनन पट्टे का निष्पादन हो गया है एवं खनन पट्टा क्षेत्र से कोयले का उत्पादन नवम्बर, 2008 से शुरू हो गया है।	कम्पनी अपर समाहर्त्ता/ उपायुक्त, लातेहार से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करें।
ii) 67.94 एकड़ गैरमजूरवा भूमि के हस्तांतरण	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.09.2013 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार की अध्यक्षता में हुये बैठक के तहत अपरसमाहर्त्ता लातेहार को 67.94 एकड़ गैरमजूरवा आनाबाद भूमि के विधिवत क्षतिपूरक वन रोपण हेतु स्थाई बन्दोबस्ती के लिए प्रस्ताव गठित कर विहित प्रक्रिया के तहत विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया किन्तु वांछित प्रतिवेदन अभी तक आप्रप्त है।	
iii) वन विभाग–	Department of Forest submitted that the out of 192.50 ha. of Iron ore block allotted in Kodalibad forest of Saranda division, Stage-I granted for 55.79 ha. vide MoEF letter dated 13.02.2012. Compliance report sent to PCCF, Jharkhand vide Nodal officer's letter no. 697 dated 22.07.2014.	

4. मेसर्स अभिजित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, बेगनाडीह, कोलेबीरा, सरायकेला।

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) रैयती भूमि–112.38 एकड़	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि कम्पनी से प्राप्त आवेदन/अधियचना विभागीय पत्रांक 785, दिनांक 30.10.2012 द्वारा प्रशंगत भूमि कि आवश्यकता के संबंध में कम्पनी से प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अप्राप्त है। पुनः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 164/रा0, दिनांक 19.05.2014 के द्वारा नये अधिनियमानुसार नये सिरे से प्रस्ताव गठित करने का निदेश उपायुक्त, सरायकेला–खरसॉवा को दिया गया है। सरकारी भूमि से संबंधित प्रस्ताव अप्राप्त है।	दिनांक 13.03.2014 को CCI-PMG की आयोजित बैठक में इकाई को चंदवा पावर प्लान्ट को प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।
ii) लौह अयस्क– घाटकुरी के 429 हे0 लौह अयस्क के खनन पट्टे की स्वीकृति।	खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बताया गया कि पं० सिंहभूम जिलान्तर्गत मौज–घाटकुड़ी के 429.00 हे० क्षेत्र पर लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदित क्षेत्र लोक उपक्रम के लिए आरक्षित रहने के फलस्वरूप प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा वापस लिये जाने के कारण आवेदक कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को सही ठहराते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।	
iii) कोयला–वृन्दा एवं सिशई कोल ब्लॉक	चतरा जिलान्तर्गत मौजा–बृन्दा एवं सिसई कोल ब्लॉक आवंटित है। भारत सरकार, कोयला मंत्रालय का पत्रांक–47011/1 (20)/ 2000–C.P.A.M/CA-I, दिनाक–15.02.2012 द्वारा आवंटित क्षेत्र को संशोधित करते हुए सशर्त पूर्वानुमति संसूचित की गयी है। विभागीय पत्रांक–799/ एम०, दिनांक–30.04.2012 द्वारा आवेदक कम्पनी से वन भूमि के लिए भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति एवं संशोधित क्षेत्र के लिए संशोधित माईनिग प्लान की माँग की गयी है। आवेदक कम्पनी द्वारा Stage-II Forest	

	Clearance प्राप्त नहीं किया गया है। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को नवम्बर, 2014 तक Stage-II प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है, अन्यथा इस कोल ब्लॉक को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा De-allocate कर दिया जा सकता है।	

5. मेसर्स कॉरपोरेट इस्पात एल्वायज लि0, सरायकेला–खरसॉवा।

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) लौह अयस्क–	यह इकाई अभिजितग्रुप की इकाई है। पं० सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा–बिचाबुरू के 347.75 हे० क्षेत्र पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक–24.08.2013 द्वारा पृच्छा की गयी थी। पृच्छा का उत्तर विभागीय पत्रांक–1445/एम०, दिनांक–15.07.2014 द्वारा भारत सरकार को भेजी गयी है। पूर्वानुमोदन अप्राप्त है। पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है।	दिनांक 13.03.2014 को CCI-PMG की आयोजित बैठक में इकाई को चंदवा पावर प्लान्ट को प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।
ii) कोयला	लातेहार जिला अन्तर्गत चितरपुर कोल ब्लॉक आवंटित है। वन भूमि के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से Forest Clearance प्राप्त नहीं हुआ है। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस कोल ब्लॉक को De-allocate कर दिया गया है।	

V.C

6. मेसर्स भूषण पावर एण्ड स्टील लि0, पोटका पूर्वीसिंहभूम।

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) रैयती भूमि(2792.18 एकड) 196.49 एकड़ प्रथम फेज में।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.12.2012 द्वारा एकरारनामा की कार्रवाई सम्पन्न। धारा–4 के तहत अधिसूचना का प्रस्ताव प्राप्त। जिसके क्रम में मूल अभिलेख/प्रस्ताव वापस करते हुये विभागीय पत्रांक 191/रा0, दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नये अधिनियानुसार प्रासंगिक मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम को दिया गया गया है। सरकारी भूमि के प्रस्ताव अप्राप्त।	कम्पनी उपायुक्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करें।
ii) लौह अयस्क–	मौजा–चाटुबुरू के 180.75 हे० क्षेत्र पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–5/16/2009-M.IV, दिनांक– 07.02.2014 द्वारा Revised Checklist एवं पृच्छा की गयी है। जिसके क्रम में विभागीय पत्रांक–1185/एम०, दिनांक–18.06.2014 द्वारा सहायक खनन पदाधिकारी, चाईबासा को वाँछित प्रतिवेदन उपलब्ध करने के लिए निदेषित किया गया है।	
ii) कोयला	हजारीबाग/राँची जिलान्तर्गत पताल ईस्ट कोल ब्लॉक आवंटित है। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–13016/17/ 2007-CA-I,दिनांक–16.02.2009 द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त है। विभागीय पत्रांक– 1401/एम०, दिनांक–10.08.2010 द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।	

	कोयला के खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु आवेदक कम्पनी द्वारा अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है।	
iii) वन विभाग–	Forest Department submitted that the GOI raised queries on 26.06.2014 for Chatuburu Iron ore mines. Compliance pending with User agency and field officers since 11.07.2014. Regarding Coal Block, Patal East diversion proposal not yet received.	

7. मे० एस्सार स्टील झारखण्ड लि०,

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) लौह अयस्क–	खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बताया गया कि मौजा–अंकुआ के 568.75 हे० क्षेत्र पर भारत सरकार के पत्रांक–5/ 110/ 2007 – MIV, दिनांक–12.12.07 द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त होने के पश्चात विभागीय पत्रांक–872/एम०, दिनांक–20.01.09 द्वारा तीन वर्षों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति संबंधित प्रगति प्रतिवेदन मेसर्स एस्सार स्टील लि० के पत्रांक–ESSL/14-15/status/03, दिनांक–01.07.2014 द्वारा समर्पित की गयी है। इकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति से संबंधित माईन्स में आवश्यकता के अनुसार आयरन ओर की उपलब्धता नहीं है। खान एवं भूतत्व विभाग को समर्पित कर दिया गया है।	i) कम्पनी के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि खान सचिव के साथ बैठक कर आयरन ओर ब्लॉक से संबंधित कार्रवाई करें। ii) स्टील प्लान्ट की स्थापना से संबंधित आवश्यक भूमि क्रय करें।
ii) वन विभाग–	Forest Department submitted that the proposal of Stage-I clearance pending with GOI since 21.01.2014. (Chakala Coal Block 509.33 ha.)	

8. मेसर्स रूँगटा माईन्स लि०, सरायकेला।

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) सरकारी भूमि–35.44 एकड़	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि 35.44 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।	
ii) लौह अयस्क–	खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बताया गया कि मौजा–कोदलीबाद में 350.50 हे० क्षेत्र पर भारत सरकार के पत्रांक–5/20/2006-M.IV, दिनांक–18.04.2006 द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त होने के पष्चात विभागीय पत्रांक–872/एम०, दिनांक–21.06.2006 एवं स्मार पत्र–818, दिनांक–13.07.2007 द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की गयी है, जो अप्राप्त है। खनन पट्टे की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।	
iii) कोयला–	भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, का पत्रांक–13016/45/2003-CA-I, दिनांक–25.09.2009 के द्वारा प्राप्त पूर्वानुमोदन के आलोक में आवेदक कम्पनी से विभागीय पत्रांक–2153/एम०, दिनांक–27.11.2010 के द्वारा स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र की माँग की गई है। आवेदक से वाँछित कागजात अप्राप्त है। खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। इस कोल ब्लॉक को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा De-allocate कर दिया गया है।	

V.C

9. सर्वश्री जे०एस०डब्लू० स्टील लि०, सोनाहातु, सिल्ली,।

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) रैयती भूमि– सरकारी भूमि–462.26 एकड़	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि रैयती भूमि से संबंधित विधिवत अधियाचना विभाग को अप्राप्त है। प्रस्तावित योजना हेतु 462.26 एकड़ सरकारी भूमि का सत्यापन तथा हस्तांतरण भूमि के दखल संबंधी प्रामण उपलब्ध नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक 1070/रा0, दिनांक 25.03.2014 तथा स्मार पत्रांक 2468, दिनांक 02.08.2013 द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, राँची से अनुरोध किया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त है।	कम्पनी उपायुक्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करें।
ii) लौह अयस्क–	खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बताया गया कि पं० सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा–अंकुआ में 999.90 हे० क्षेत्र पर खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–5/108/ 2008 – MIV, दिनांक–04.09.08 द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त होने के पश्चात विभागीय पत्रांक–1091/एम०, दिनांक–10.09.08 तथा स्मार पत्रांक–1322/एम०, दिनांक–04.07.2014 द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति की माँग की गई है, जो अप्राप्त है। आवेदक कम्पनी के पत्रांक–JSW/ JKD/ 2014/ 71, दिनांक–14.06.2014 द्वारा Stage-II Clearance के बाबत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक–F. Mo.-8-46/2010-FC, दिनांक–10.05.2013 की प्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार 998.70 हेक्टेयर क्षेत्र पर सषर्त्त पूर्वानुमति संसूचित किया गया है। अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति उपलब्ध कराया गया है। पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र	

V.C

	अप्राप्त है। Forest Department submitted that the proposal of Stage-I compliance sent to GoJ vide PCCF letter no. 2867, dated 23.07.2014.	
iii) वन विभाग--		
iv) कोयला	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्रांक–13016/ 62/ 2008-CA-I, दिनांक–31.03. 2011 के द्वारा MMDR Act, 1957 की धारा–5 (1) के प्रावधानों के तहत 778.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु एवं 420 हेक्टेयर क्षेत्र पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु पूर्वानुमति प्राप्त हुआ है। खनन पट्टा स्वीकृति हेतु 778.00 हेक्टेयर क्षेत्र में 683.02 हेक्टेयर वन भूमि, 82.91 हेक्टेयर रैयती भूमि तथा 12.07 हेक्टेयर गैर मजरूआ भूमि है, जिसमें से 560.00 हेक्टेयर क्षेत्र वन भूमि पर Stage-I Clearance प्राप्त है, शेष 123.02 हेक्टेयर वन भूमि पर Stage-I Clearance प्राप्त नहीं है। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार आवेदक कम्पनी को नवम्बर, 2014 तक Stage-II Clearance प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है, अन्यथा इस कोल ब्लॉक को De-allocate किया जा सकता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक–8-101/ 2011-F, दिनांक–11. 04.2013 द्वारा 402.91 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र पर आवेदक कम्पनी को 57 Nos. of exploratory drilling करने के लिए कतिपय शर्त्तों के साथ अनुमति प्रदान की है। 420 हेक्टेयर क्षेत्र में से वस्तुतः कुल वन भूमि 404.04 हेक्टेयर है। मौजा–मालडीह के प्लॉट संख्या–302, रकबा–0.06 एकड,	

V.C

	प्लॉट संख्या–308, रकबा–0.47 एकड़ तथा मौजा–पसेरिया के प्लॉट संख्या–09, रकबा–2.25 एकड, कुल–2.78 एकड़ (1.13 हेक्टेयर) क्षेत्र बाद में जंगल–झाड़ी चिन्हित किया है, जिस पर Drilling की अनुमति प्राप्त नहीं हो पाया है।	मुख्य सचिव के द्वारा जल संसाधन विभाग को निदेश दिया गया कि दिनांक 13.06.2014 को CCI-PMG की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में कम्पनी के 55.32 MCM जल को restore करने की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करें।
iv) वन विभाग–	Forest Department submitted that the proposal of Stage-I granted for Rohene Coal Block vide MoEF letter no. 8-36/10-FC, dated 23.01.2013, 26.02.2013 and 07.11.-2013. User agency yet the comply Stage-I condition.	

9. सर्वश्री मुकन्द लिमिटेड, बारलंगा, रामगढ़

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) रैयती भूमि–	कम्पनी द्वारा 157.80 एकड़ भूमि क्रय किया गया है। आदिवासी भूमि के क्रय 49 CNT ACT के तहत उपायुक्त, रामगढ़ को आवेदन दिया गया है जो प्रक्रियाधीन है।	
ii) जल–	इकाई को स्टील प्लान्ट हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा 5 MCM जलापूर्ति करने का एकरारनामा किया गया है।	
iii) लौह अयस्क–	खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बताया गया कि पं0 सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा–आराबुरू (जी0एफ0) के 135.00 हे0 क्षेत्र पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु भेज गए प्रस्ताव पर खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक–24.08.2013 द्वारा पृच्छा की गयी थी। पृच्छा का उत्तर विभागीय पत्रांक–1440/एम०, दिनांक–15.07.2014 को भारत सरकार को भेजी गयी है,	

iv) कोयला–	परन्तु भारत सरकार द्वारा उक्त मामले को बन्द कर दिया गया है। सर्वश्री मुकन्द लिमिटेड एवं विन्नी आयरन एण्ड स्टील उद्योग लि० को संयुक्त रूप से राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एवं ईस्टरन) कोल ब्लॉक आवंटन किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त, भूमि सूची जाँच हेतु लम्बित था। इस कोल ब्लॉक को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा De-allocate कर दिया गया है।	

10. सर्वश्री एस0के0जे0 आयरन इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, रामगढ़।

Issues	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
i) भूमि–	इकाई द्वरा 55 एकड़ रैयती भूमि क्रय किया गया है। प्रथम फेज पैलेट प्लान्ट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।	कम्पनी को पैलेट प्लान्ट की स्थापना हेतु निदेश दिया गया है।
ii) जल–	जल संसाधन विभाग के द्वारा $9000m^3$ प्रति दिन सोना नदी से जलापूर्ति हेतु एकरारनामा किया गया है।	
iii) लौह अयस्क–	कैप्टिव माईन्स हेतु आवेदन दिया गया हैं।	

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

अनुमोदित
मुख्य सचिव
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 2444 /राँची, दिनांक 20/08/2014

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/पी0सी0सी0एफ0, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, राँची/निदेशक उद्योग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हिमांशु पाण्डे)
सरकार सचिव